AMOGHVARTA

ISSN : 2583-3189

भारत में लैंगिक असमानताः एक समाजशास्त्रीय अध्ययन

ORIGINAL ARTICLE

Author
दीपक पटेल
सहायक प्राध्यापक (समाजशास्त्र)
शासकीय नेहरू स्नातकोत्तर महाविद्यालय, बुढार,
जिला– शहडोल, मध्य प्रदेश, भारत

शोध सार

किसी भी देश के समग्र विकास के लिए यह आवश्यक है कि उस देश की महिला एवं पुरुष दोनों को समान अवसर मिले एवं समान प्रतिनिधित्व मिले। जब किसी भी देश में महिलाओं एवं पुरुषों दोनों को अलग–अलग दृष्टिकोण से देखा जाता है तो इसे ही लैंगिक भेदभाव कहा जाता है। दुनिया के अलग–अलग देशों में हमें कम या अधिक मात्रा में लैंगिक भेदभाव देखने को मिलता है। लैंगिक भेदभाव मानवता के खिलाफ है, लैंगिक भेदभाव एक ऐसी खाई है जिसे अगर पाटा नहीं गया तो समय के साथ–साथ यह और गहरी और चौड़ी होती चली जाएगी। लैंगिक समानता एक मजबूत एवं सुरक्षित राष्ट्र की नीव रखता है। आज दुनिया 21वीं सदी में है लेकिन फिर भी हमें लैंगिक भेदभाव दुनिया के लगभग सभी देशों में कम या अधिक मात्रा में देखने को मिलता है। लैंगिक भेदभाव चाहे वह विकसित राष्ट्र हो या विकासशील राष्ट्र हो सभी में यह कम या अधिक मात्रा में देखने को मिलता है। यदि हम भारत की बात करें तो भारत में भी हमें लैंगिक भेदभाव अधिकतर क्षेत्रों में देखने को मिलता है।

मुख्य शब्द

लैंगिक असमानता, मातृत्व मृत्यु अनुपात, लिंगानुपात, साक्षरता दर.

प्रस्तावना

लैंगिक समानता के बिना किसी भी समाज का समावेशी विकास नहीं हो सकता है। किसी भी व्यक्ति के साथ लिंग के आधार पर भेदभाव सामाजिक अन्याय है। जिस समाज में लैंगिक भेदभाव की सामाजिक संरचना का निर्माण हो जाता है वह समाज सभी व्यक्तियों के साथ न्याय नहीं कर सकता। लैंगिक भेदभाव हमें दुनिया के कई देशों में कुछ या अधिक मात्रा में देखने को अवश्य मिलता है। अमेरिका, चीन, ब्रिटेन, भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, रूस, कनाडा आदि जैसे देशों में हमें लैंगिक भेदभाव देखने को मिलता है। लैंगिक भेदभाव के कारण किसी व्यक्ति के जीवन जीने के अवसर, रोजगार के अवसर, कार्य करने की स्वतंत्रता और जीवन में आगे बढ़ने के अवसर कम हो जाते हैं।

हमारे देश भारत में भी 21वीं सदी में भी लोग बेटी के जन्म पर शांत हो जाते हैं, जबकि बेटे के जन्म पर ढोल नगाड़े बजाते हैं। इससे यह पता चलता है कि आज भी भारत में कहीं ना कहीं कुछ या अधिक मात्रा में लैंगिक भेदभाव मौजूद है। विश्व आर्थिक मंच (World Economic Forum) के द्वारा जारी वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट (Global Gender Gap Report) 2023 के अनुसार 146 देशों में भारत का स्थान 127 वां है जो कि यह दर्शाता है कि भारत में लैंगिक भेदभाव अन्य देशों की तुलना में ज्यादा है। हमारे पड़ोसी देश चीन (107 वां स्थान), बांग्लादेश

(59 वां स्थान), नेपाल (116 वां स्थान), और श्रीलंका (115 वां स्थान), भूटान (103 वां स्थान) की रैंकिंग भारत से बेहतर है।

लैंगिक भेदभाव की खाई को पाटने के लिए भारत सरकार ने सन 2005 से जेंडर उत्तरदायी बजटिंग (Gender Responsive Budgeting) की शुरुआत की। इसका प्रमुख उद्देश्य राजकोषीय नीति के आधार पर लैंगिक भेदभाव की समस्या को खत्म करना और कम करना है।

(Source:& https://rb.gy/97k2tz)

लैंगिक भेदभाव का इतिहास

बहुत सारे मानव शास्त्री यह कहते हैं कि प्रारंभिक अवस्था में समाज में लैंगिक आधार पर कोई भेदभाव नहीं था, लेकिन नवपाषाण युग लगभग (9000B.C. से 1000B.C.) से समाज में लैंगिक भेदभाव की शुरुआत हुई। जर्मन दार्शनिक फ्रैडरिक एंजेल्स (Friedrich Angels) कहते हैं कि नवपाषाण युग के समय से मानव जीवन में स्थायित्व आया, मनुष्य खानाबदोश जीवन छोड़कर एक स्थान पर रहने लगा, खेती करने लगा, पशुपालन करने लगा, और यहीं से निजी संपत्ति की शुरुआत होती है, और यहीं से लैंगिक भेदभाव की शुरुआत होती है।

Oppian Law (Lex Oppia): 215 B.C. में रोम में एक नियम प्रतिपादित किया गया जिसे Oppian Law कहा जाता है। इस नियम के अनुसार महिलाएं ज्यादा संपत्ति नहीं रख सकती थी, महिलाएं रंग–बिरंगे कपड़े नहीं पहन सकती थी। 20 साल बाद 195 B.C. में बहुत अधिक विरोध के कारण इस नियम को समाप्त कर दिया गया।

कवरचर (Coverture) इंग्लैंड का एक नियम था जिसके अनुसार जब तक लड़की अविवाहित रहती थी, वह स्वतंत्र रूप से अपना जीवन व्यतीत कर सकती थी। उसका अपना स्वतंत्र अस्तित्व होता था, लेकिन विवाह के बाद उसका अपना स्वतंत्र अस्तित्व खत्म हो जाता था। विवाह के बाद पति और पत्नी को एक ही इकाई मान लिया जाता था, तथा पूरे अधिकार जैसेः संपत्ति में अधिकार, कुछ खरीदने और बेचने का अधिकार, कोई निर्णय लेने का अधिकार, यह सारे अधिकार पुरुषों के पास होते थे, अर्थात् यह कहा जा सकता है कि इस नियम के अनुसार महिलाएं पुरुषों की गुलाम थी। यह नियम इंग्लैंड में उच्च मध्य युग (1000 A.D. जब 1350 A.D.) और अंतिम मध्य युग (1350 A.D. 1500 A.D. में) विकसित हुआ।

ग्रीक दार्शनिक अरस्तू (384–322B.C.) की महिलाओं के विषय में यह धारणा थी कि महिलाएं पुरुषों की तुलना में बहुत कम बुद्धिमान होती हैं, उनकी सोचने, समझने और तर्क करने की छमता कम होती है।

मिश्र के पूरे राजवंश के इतिहास में छः रानियों से ज्यादा ने शासन नहीं किया। वही मिश्र के पूरे राजवंश के इतिहास में 170 राजाओं ने शासन किया।

ग्रेट ब्रिटेन में Mary Wollstonecraft ने अपनी किताब The Vindication of the Rights of Women (1792) में महिला मताधिकार का मुद्दा उठाया, और 1840 में चार्टिस्ट मूवमेंट ने भी यह मुद्दा उठाया। 1850 के दशक से इंग्लैंड

के बुद्धिजीवी भी महिला मताधिकार से संबंधित आंदोलनों में सहभागिता करने लगते हैं। इस आंदोलन का समर्थन John Stuart Mill और उनकी पत्नी Harriet के द्वारा भी किया जाता है। 1865 में मैनचेस्टर में Women Suffrage Committee का निर्माण किया जाता है। 1867 में J.S. Mill ने इस Society की मांगों को संसद में पेश किया और संसद ने महिलाओं के मताधिकार की मांग को अस्वीकार कर दिया। लेकिन इसके पश्चात इंग्लैंड की अलग–अलग शहरों में Women Suffrage Committee का निर्माण किया जाता है जो कि महिलाओं के मताधिकार के लिये संघर्ष करती है।

अंततः 1869 में British Parliament ने women taxpayer को Municipal Election में वोट डालने का अधिकार दिया। 1918 में ब्रिटेन की महिलाओं (30 वर्ष से ऊपर) को voting rights प्रदान किया गया। 1928 में ब्रिटेन में महिलाओं को वोट देने की उम्र 21 वर्ष कर दी गई।

भारत में लैंगिक भेदभाव का इतिहास

भारत में जब हम लैंगिक भेदभाव की बात करते हैं तो अपने धार्मिक साहित्य के द्वारा हमें यह पता चलता है कि वैदिक काल में स्त्री और पुरुष में कोई भेदभाव नहीं था। स्त्री और पुरुषों को बराबरी का अधिकार प्राप्त था। इस काल में घोषा, अपाला, लोपमुद्रा, गार्गी, मैत्रेयी आदि विदुषी स्त्रियों का उल्लेख मिलता है। इस काल में महिलाएं राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक आदि क्षेत्रों में सक्रिय थी। लेकिन इस समय महिलाओं की अच्छी स्थिति के संबंध में पुरातात्विक स्रोत का अभाव है। उत्तर वैदिक काल में महिलाओं की स्थिति में गिरावट आने लगती है। अब महिलाएं धीरे–धीरे पुरुषों के ऊपर निर्भर होती जाती हैं और उनके अधिकार बहुत कम हो गए।

मध्यकाल में मुस्लिम शासकों का आक्रमण हुआ और समाज में पर्दा प्रथा का प्रादुर्भाव हो गया। इस समय महिलाओं की शिक्षा–दीक्षा बंद हो गई, और वह घर की चारदीवारी के अंदर अपना जीवन यापन करने लगी। महिलाओं पर कई प्रकार के प्रतिबंध लगा दिए गए। इस समय भारत में सती प्रथा, बाल विवाह प्रथा, जौहर प्रथा, पर्दा प्रथा आदि कुप्रथाएं मौजूद थी। इसके कारण महिलाओं की सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक और राजनीतिक स्थिति में बहुत गिरावट आई।

भारत में सती प्रथा एक ऐसी कुप्रथा थी जिसमें महिलाओं को उनकी इच्छा के विरुद्ध पति के साथ चिता पर रखकर जिंदा जलाया जाता था। ऐसी अमानवीय घटना से लोगों का दिल दहल उठता था। सन् 1829 में लॉर्ड विलियम बेंटिक ने सती प्रथा निरोधक अधिनियम कानून बनाकर इस कुप्रथा को समाप्त किया।

ब्रिटिश काल में महिलाओं की स्थिति में कुछ सुधार हुआ क्योंकि इस समय कुछ महिलाएं शिक्षा ग्रहण करने लगी, लेकिन महिलाओं की स्थिति में कोई बहुत बड़ा बदलाव देखने को नहीं मिला। इस समय भी समाज में बाल विवाह प्रथा, बहु पत्नी विवाह प्रथा, सती प्रथा आदि देखने को मिलती थी।

सन् 1947 में भारत स्वतंत्र हुआ और सन 1950 में भारतीय संविधान लागू हो गया। भारतीय संविधान ने महिलाओं को बराबरी का दर्जा दिया। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 14 सभी की समानता की बात करता है तथा अनुच्छेद 15 (1) धर्म, प्रजाति, जाति तथा लिंग के आधार पर किसी भी प्रकार के भेदभाव को निषिद्ध करता है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 39(क) समान कार्य के लिए समान वेतन की अनुशंसा करता है। संविधान के 73वें एवं 74 वें संविधान संशोधन में क्रमशः पंचायती राज एवं नगरीय निकाय को प्रस्तुत किया गया, और पंचायती राज एवं नगरीय निकायों में एक तिहाई स्थान महिलाओं के लिए आरक्षित किए गए, जिससे महिलाओं की राजनीतिक एवं नेतृत्व क्षमता का विकास हो सके।

शोध कार्य के उद्देश्य

- लैंगिक भेदभाव के इतिहास को जानना एवं समझना।
- भारत में लैंगिक भेदभाव के इतिहास को जानना एवं समझना।
- वर्तमान में भारत में लैंगिक भेदभाव के विभिन्न क्षेत्रों का अध्ययन करना।

शोध विधि तंत्र

किसी भी शोध कार्य को करने के लिए प्राथमिक आंकड़ों या द्वितीयक आंकड़ों की आवश्यकता होती है। लेकिन यह शोध पत्र द्वितीयक आंकड़ों पर आधारित है। इस शोधपत्र में लैंगिक भेदभाव से संबंधित आंकड़ों को प्रदर्शित किया गया है। आंकड़ों को प्रदर्शित करने के लिए आवश्यकतानुसार विभिन्न प्रकार के चार्ट एवं तालिका का प्रयोग किया गया है।

लैंगिक भेदभाव के विभिन्न क्षेत्र

लोकसभा में महिलाओं का प्रतिनिधित्व

तालिका 1: लोकसभा में महिलाओं का प्रतिनिधित्व

Year of Election	Number of Women Representatives	Percentage of Women Representatives (%)
1951	22	5
1957	22	5
1962	31	6
1967	29	6
1971	28	5
1977	19	4
1980	28	5
1984	43	8
1989	29	6
1991	39	7
1996	40	7
1998	43	8
1999	49	9
2004	45	8
2009	59	11
2014	66	12
2019	78	14

(Source : Election Commission of India)

इस तालिका से यह स्पष्ट हो रहा है कि 1951 में लोकसभा में महिलाओं की संख्या केवल 22 थी। 1957 में भी लोकसभा में महिलाओं की संख्या 22 थी। 1962 में लोकसभा में यह संख्या बढ़कर 31 हो जाती है। 1991 में 39, 2004 में 45, 2014 में 66 तथा 2019 में यह संख्या 78 है। इस तालिका से स्पष्ट है कि अभी भी लोकसभा में महिलाओं का पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है।

राज्यसभा में महिलाओं का प्रतिनिधित्व

तालिका 2: राज्यसभा में महिलाओं का प्रतिनिधित्व

Year of Election	Number of Women Representatives	Percentage of Women Representatives (%)
1952	15	6.9
1954	17	7.8
1956	20	8.6
1958	22	9.5
1960	24	10.2
1962	18	7.2
1964	21	8.9

1966	23	9.8
1968	22	9.6
1970	14	5.8
1972	18	7.4
1974	18	7.5
1976	24	10.1
1978	25	10.2
1980	29	12
1982	24	10.1
1984	24	10.3
1986	28	11.5
1988	25	10.6
1990	24	10.3
1992	17	7.2
1994	20	8.3
1996	19	7.8
1998	19	7.7
2000	22	9
2002	25	10.2
2004	28	11.4
2006	25	10.2
2008	24	9.8
2010	27	11
2012	26	10.6
2014	31	12.7
2016	27	11
2018	28	11.4
2020	25	10.2

(Source: Election Commission of India)

इस तालिका से यह स्पष्ट है कि 1952 में राज्यसभा में महिलाओं की संख्या केवल 15 थी। 1954 में राज्यसभा में महिलाओं की संख्या 17 थी। 1960 में 24, 1962 में 18, 1992 में 17, 2016 में 27, 2018 में 28 तथा 2020 में 25 है। वास्तव में यह संख्या महिलाओं के उचित प्रतिनिधित्व के हिसाब से बहुत ही कम है और यह तालिका यह प्रदर्शित करती है कि राज्यसभा में महिलाओं की संख्या बहुत ही कम है।

लोकसभा चुनाव में महिला उम्मीदवारों की संख्या (1957 –2019)

चित्र 1: लोकसभा चुनाव में महिला उम्मीदवारों की संख्या (1957 –2019)

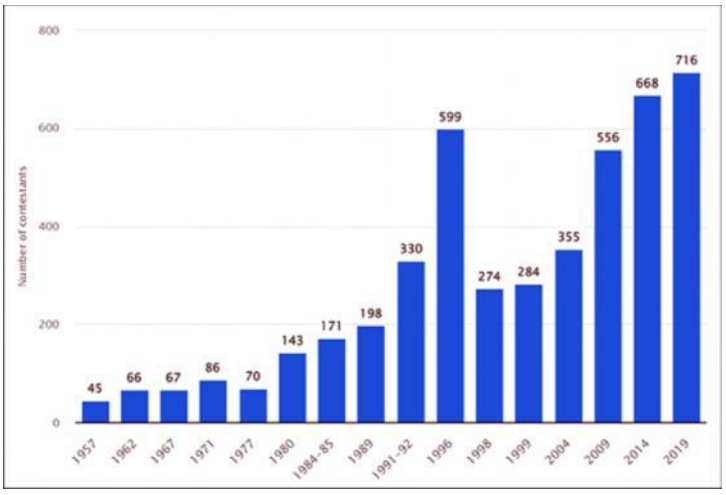

(Source: Statista.com)

उपर्युक्त बार रेखा चित्र से यह स्पष्ट होता है कि लोकसभा उम्मीदवार के तौर पर महिलाएं बहुत कम संख्या में चुनाव में अपनी उम्मीदवारी के लिए चुनाव लड़ती हैं।

भारत की साक्षरता दर 1951–2011

तालिका 3: भारत की साक्षरता दर 1951–2011

Year	Literacy Rate			
	Total	Male	Female	Differential
1951	18.33	27.16	08.86	18.30
1961	28.30	40.40	15.35	25.05
1971	34.45	45.95	21.97	23.98
1981	43.57	56.38	29.76	26.62
1991	52.21	64.13	39.29	24.84
2001	65.38	75.85	54.16	21.69
2011	74.04	82.14	65.46	16.68

(Source: Census of India)

उपर्युक्त तालिका से स्पष्ट है कि 1951 में पुरुषों की साक्षरता दर 27.16 प्रतिशत थी जबकि महिलाओं की साक्षरता दर केवल 8.86 प्रतिशत थी। 1961 पुरुषों की साक्षरता दर बढ़कर 40.40 प्रतिशत जबकि महिलाओं की साक्षरता दर बढ़कर 15.35 प्रतिशत हो जाती है। 1991 में पुरुषों की साक्षरता दर 64.13 प्रतिशत हो जाती है और महिलाओं की साक्षरता दर 39.29 प्रतिशत हो जाती है। 2011 में पुरुषों की साक्षरता दर बढ़कर 82.14 प्रतिशत जबकि महिलाओं की साक्षरता दर 65.46 प्रतिशत हो जाती है। इस तालिका से यह स्पष्ट होता है कि 1951 से ही पुरुष एवं महिलाओं की साक्षरता दर में काफी अंतर था जो कि 2011 की जनगणना में प्राप्त साक्षरता के आंकड़े में भी परिलक्षित होता है।

तालिका 4: लिंगानुपात एवं बाल लिंगानुपात 1901– 2011

Census Year	Sex Ratio (Females per 1000 males)	Child Sex Ratio (0-6 Years) (Girls Per 1000 boys)
1901	972	
1911	964	
1921	955	
1931	950	
1941	945	
1951	946	
1961	941	976
1971	930	964
1981	934	962
1991	926	945
2001	933	927
2011	943	918

(Source: Registrar General of India)

उपर्युक्त तालिका यह स्पष्ट करती है कि 1901 में 1000 पुरुषों पर 972 महिलाएं थी, जबकि 1931 में यह घटकर 1000 पुरुषों पर 950 महिलाएं हो गया। 1961 में लिंग अनुपात में और गिरावट आई और यह घटकर 1000 पुरुषों पर 941 महिलाएं हो गया। 1971 में लिंगानुपात 930 महिलाएं प्रति हजार पुरुष, 2001 में 933 महिलाएं प्रति हजार पुरुष और 2011 में 943 महिलाएं प्रति हजार पुरुष हो गया। वहीं दूसरी तरफ इस तालिका से यह भी स्पष्ट हो रहा है कि 1991 में बाल लिंगानुपात 945 बालिकाएं प्रति हजार बालक था जो कि 2001 में घटकर 927 बालिकाएं प्रति हजार बालक हो गया और 2011 में इसमें और गिरावट आई और यह घटकर 918 बालिकाएं प्रति हजार बालक हो गया। बाल लिंगानुपात में लगातार होने वाली गिरावट यह संकेत करती है कि आने वाले समय में पुरुष और महिला के लिंग अनुपात में और अंतर देखने को मिल सकता है।

भारत में मातत्व मत्यु अनुपात

चित्र 2: भारत में मातृत्व मृत्यु अनुपात

(स्रोतः प्रेस सूचना ब्यूरो भारत सरकार)

चित्र 2 से यह स्पष्ट होता है कि भारत में मातृत्व मृत्यु अनुपात में लगातार गिरावट आ रही है लेकिन यह गिरावट जितनी तेजी से होनी चाहिए उतनी तेजी से नहीं हो पा रही है।

वर्षवार दर्ज किए गए बलात्कार के मामले (2008–2017)

चित्र 3: वर्षवार दर्ज किए गए बलात्कार के मामले (2008–2017)

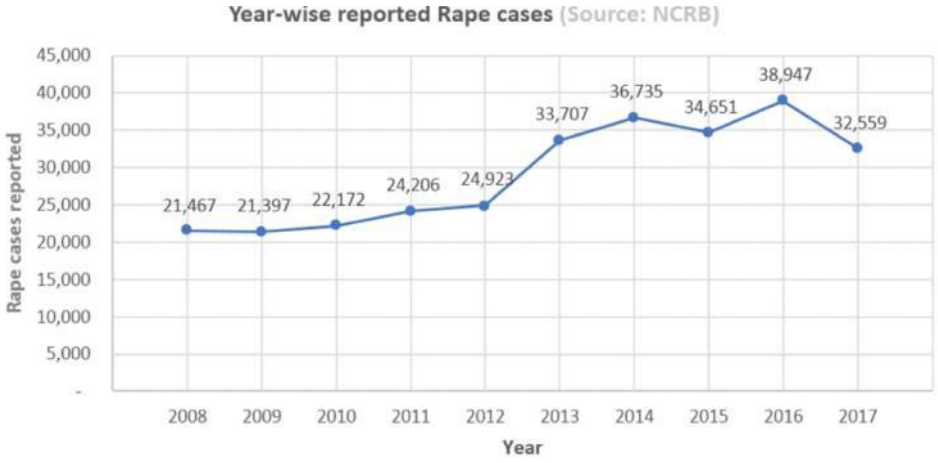

चित्र 3 से यह स्पष्ट है कि भारत में बलात्कार के आंकड़े डराने एवं चौकाने वाले हैं। बलात्कार के यह आंकड़े किसी भी देश के लिए शर्मनाक है। बलात्कार के आंकड़ों में जो गिरावट दिखनी चाहिए वह नहीं हो पा रही है।

तालिका 5: भारत में दहेज से हुई मृत्यु (2001–21)

Year	Dowry deaths reported in India
2001	6581
2002	6822
2003	6208
2004	7026
2005	6787
2006	7618
2007	8093

2008	8172
2009	8383
2010	8391
2011	8618
2012	8233
2013	8083
2014	10500
2015	7634
2016	7621
2017	7466
2018	7167
2019	7141
2020	6966
2021	6753

(Source: NCRB Data)

तालिका 5 से यह स्पष्ट होता है कि भारत में दहेज के कारण बहुत सी महिलाएं मौत को गले लगा लेती हैं। वर्ष 2001 में 6581 महिलाएं, वर्ष 2002 में 6822 महिलाएं, 2005 में 6787 महिलाएं, वर्ष 2010 में 8391 महिलाएं, 2014 में 10,500 महिलाएं, 2017 में 7466 महिलाएं, 2020 में 6966 महिलाएं दहेज मृत्यु का शिकार हुई। इससे यह स्पष्ट होता है कि दहेज मृत्यु में उल्लेखनीय कमी देखने को नहीं मिल रही है।

निष्कर्ष

उपर्युक्त विवेचनाओं से स्पष्ट है कि लैंगिक भेदभाव सभी समाजों की सच्चाई है लेकिन समय के साथ–साथ लैंगिक भेदभाव में कमी आ रही है। पूरी दुनिया में लैंगिक भेदभाव को कम करने के लिए कई प्रकार के कानून बनाए गए हैं। भारत में सन् 2015 में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की शुरुआत की गई इसके साथ ही साथ वन स्टॉप सेंटर योजना, महिला हेल्पलाइन योजना, 'महिला शक्ति केंद्र' जैसी योजनाएं महिलाओं को सशक्त बना रही हैं और लैंगिक भेदभाव की खाई को पाट रही हैं। पूरी दुनिया में लैंगिक भेदभाव के खिलाफ आवाज़ उठ रही हैं और जीवन के सभी पक्षों से लैंगिक भेदभाव को खत्म करने की दिशा में कदम उठाए जा रहे हैं।

संदर्भ सूची

1. सिंह जे.पी., आधुनिक भारत में सामाजिक परिवर्तन, PHI Learning Pvt. Ltd. New Delhi, 2016.
2. Newton David E, Gender Inequality: A Reference Handbook, United States, Bloomsbury Publishing. 2019.
3. Huber Joan, On the Origins of Gender Inequality- United States, Taylor & Francis, 2015.
4. Meharotra Mamata, Gender Inequality In India: & Challenging Social Norms, India, Prabhat Books, 2013.
5. https://shorturl.at/gFV24

––==00==––